



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone @ Fax No & 01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:-मान0

गोपेश्वर,

दिनांक ३०।७। 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वारा :-

निदेशक / वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

विषय-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-14 के अन्तर्गत मालई से भटकवाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.376 है 0
वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/06/73/2016/एफ०सी०/594, दिनांक 28.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा निगत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग(पी०एम०जी०एस०वाई०) खण्ड कर्णप्रयाग के पत्र की छायाप्रति सहित 0।
प्रतियोगी में निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र० सं०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	State Government is requested to provide the reason of delay of 7 years in submitting compliance to Stage-I approval.	<p>अवगत कराना है, कि उक्त मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/08/73/2016/एफ०सी०/926, दिनांक 08.09.2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है (छायाप्रति संलग्न)। विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने/विलम्ब होने के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी आख्या निम्नवत है:-</p> <p>(१) एन०पी०बी० जमा किये जाने की कार्यवाही में व्यतीत समय:-</p> <p>(क):- उक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त एन०पी०बी० इत्यादि धनराशि की मांग इस कार्यालय, के पत्रांक 1215/12-1, दिनांक 03.10.2016 द्वारा प्रस्तावक विभाग को प्रेषित की गई, प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय द्वारा की गयी मांग को ऑनलाईन जनरेट किया गया।</p> <p>(ख):- प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन की गयी मांग को अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 27.01.2017 को सत्यापित की गई, जिसके उपरान्त दिनांक 14.02.2017 को प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन चालान जनरेट किया गया (छायाप्रति संलग्न)।।।</p> <p>(ग):- प्रस्तावक विभाग के कार्यालय के पत्रांक 901, दिनांक 22.02.2017 के द्वारा एन०पी०बी० की मांग/जनरेट चालान की प्रति सहित</p>

मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0 को ए0पी0वी0 जमा किये जाने हेतु प्रेषित की गई (छायाप्रति संलग्न)। मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0 के कार्यालय पत्रांक 9979, दिनांक 22.03.2017 द्वारा उक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु शाखा प्रबन्धक ओ0वी0सी0 देहरादून को लिखा गया (छायाप्रति संलग्न) जो कि ॲनलाईन दिनांक 07.04.2017 को जमा हुई है (छायाप्रति संलग्न)।

(घ):— उक्तानुसार दिनांक 07.04.2017 को एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की गई, किन्तु Forest Clearence की बेबसाईट पर उक्त धनराशि कैम्पा के खाते में Paid show न होने के कारण प्रस्ताव विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित नहीं किया जा सका। जिसके निस्तारण हेतु प्रस्तावक विभाग के कार्यालय के पत्रांक 322, दिनांक 12.07.2017 एवं पत्रांक 431, दिनांक 11.08.2017 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को Forest Clearence की बेबसाईट पर संशोधन हेतु लिखा गया (छायाप्रति संलग्न)। उक्त क्रम में इस कार्यालय द्वारा भी अपने कार्यालय पत्रांक 826/12-1, दिनांक 17.08.2017 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को उक्तानुसार संशोधन हेतु लिखा गया। सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त एन0पी0वी जमा तथा Forest Clearence की बेबसाईट पर संशोधन होने तक लगभग 12 से 13 माह का समय व्यतीत हुआ।

(2) म्यूटेशन की कार्यवाही में व्यतीत समय:—

उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.09.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त प्रस्तावक विभाग के कार्यालय के पत्रांक 636/चार-प्राविठ/वनभूमि/2016-17, दिनांक 15.10.2016 द्वारा जिलाधिकारी, चमोली को म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया (छायाप्रति संलग्न)।

(क):— जिलाधिकारी, चमोली के कार्यालय आदेश संख्या 281/छब्बीस-एम0वी(2015-16), दिनांक 18.10.2016 द्वारा उपजिलाधिकारी, कर्णप्रयाग को म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु लिखा गया (छायाप्रति संलग्न), किन्तु उक्त म्यूटेशन की कार्यवाही उपजिलाधिकारी, गैरसैण द्वारा करवायी जानी थी, जिस कारण पुनः जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक 1391/छब्बीस-एम0वी0 (2016-17), दिनांक 24.12.2016 द्वारा उपजिलाधिकारी, गैरसैण को लिखा गया (छायाप्रति संलग्न)। उक्त तिथि तक लगभग 02 माह का समय व्यतीत हुआ।

(ख):— जिलाधिकारी, चमोली के कार्यालय आदेश संख्या 2126/छब्बीस-14 (2016-17), दिनांक 22.02.2017 द्वारा म्यूटेशन की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त तिथि तक लगभग 04 माह का समय व्यतीत हुआ।

(ग):— म्यूटेशन के आदेश में हो रहे विलम्ब के कारण प्रस्तावक विभाग के कार्यालय के पत्रांक 462(प)/चार-प्राविठ/2017-18, दिनांक-26.08.2017 द्वारा म्यूटेशन प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी महोदय चमोली को लिखा गया। जिसके क्रम में जिलाधिकारी चमोली द्वारा पत्र संख्या 5709/छब्बीस-एम0वी0 (2016-17), दिनांक 31.08.2017 के माध्यम से उपजिलाधिकारी,

गैरसैण को म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु लिखा गया (छायाप्रति संलग्न)। उक्त तिथि तक लगभग 10 माह का समय व्यतीत हुआ। (घ):— दिनांक 27.01.2018 तक भी म्यूटेशन की कार्यवाही न हो पाने के कारण पुनः प्रस्तावक विभाग के कार्यालय के पत्रांक 943, दिनांक 28.01.2018 द्वारा उपजिलाधिकारी गैरसैण को लिखा गया (छायाप्रति संलग्न)। उक्त तिथि तक लगभग 16 माह का समय व्यतीत हुआ।

(ङ):— उपजिलाधिकारी गैरसैण से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने के उपरान्त तहसील स्तर से म्यूटेशन के प्रपत्र प्राप्त कर प्रस्तावक विभाग के कार्यालय के पत्रांक 1012, दिनांक 08.02.2018 द्वारा नामान्तरण/हस्तान्तरण प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी चमोली को लिखा गया।

(च):— जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 3222/छब्बीस-14 (2016-17), दिनांक 03.03.2018 को म्यूटेशन प्रमाण पत्र निर्गत किया गया (छायाप्रति संलग्न)। सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त म्यूटेशन की कार्यवाही में लगभग 19 माह का समय व्यतीत हुआ।

उक्तानुसार एन०पी०वी० की धनराशि जमा किये जाने में लगभग 12 माह तथा म्यूटेशन इत्यादि की कार्यवाही में लगभग 19 माह समय व्यतीत होने के उपरान्त प्रस्तावक विभाग ने सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जो इस कार्यालय के पत्रांक 4007/12-1, दिनांक 09.04.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून को प्रेषित कर दी गई थी (छायाप्रति संलग्न)। जिसे अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 02.09.2019 को ऑनलाइन सत्यापित किया गया (छायाप्रति संलग्न)।

प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी ने उनके कार्यालय के पत्रांक 1390/1जी-5070, दिनांक 09.11.2020 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से नोडल कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावक विभाग को लिखा गया। प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त उल्लिखित पत्र उनके कार्यालय को विलम्ब से प्राप्त होने के कारण वांछित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु उनके कार्यालय के पत्र संख्या 335, दिनांक 18.08.2021 द्वारा द्वारा इस कार्यालय को लिखा गया है। जिस क्रम में तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तावक विभाग को उपलब्ध करा दिया गया (छायाप्रति संलग्न)। तत्पश्चात् उच्च स्तर से भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने सम्बन्धी प्रमाण हेतु नया प्रपत्र निर्धारित कर निर्धारित प्रपत्र में सूचना चाही गयी, जोकि पुनः तैयार कर इस कार्यालय के पत्र संख्या 264/12-1 दिनांक 12.07.2022(छायाप्रति संलग्न) द्वारा निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर के कार्यालय को तथा उनके कार्यालय द्वारा आपके कार्यालय को विषयांकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था, जिस पर अग्रिम कार्यवाही आपके स्तर से की जानी

		है। इस प्रकार सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है।
2	State Government is requested to submit copy of CA scheme of Rs. 15,54,538.00 based on which amount is deposited in CAMPA fund.	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि ₹0–15,54,538.00 का प्राक्कलन तैयार कर संलग्न है। (संलग्न)
3	In Compliance to condition no. 1, State Government is requested to submit copy of notification of CA area as RF/PF.	प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरित सिविल और सोयम भूमि अधिसूचना संख्या 869-एफ/638 दिनांक 17-10-1893 के तहत रक्षित वन घोषित है, अतः इसे पुनः आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्न)
4	State Government is requested to deposit NPV as per new rates.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० हेतु वर्तमान दरों के आधार पर आगणित संशोधित धनराशि ₹. 11,75,557.00 RTGS/NEFT के माध्यम से Union Bank of India में जमा कर दी गई है। संलग्न:-1— चालान की प्रति।
5	State Government is requested to submit the status of plantation in CA	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भट्कवाली सिविल भूमि में वर्ष 2020-21 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य पूर्ण किया गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 1957 /12- दिनांकित

प्रतिलिपि:— अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०) प्रखण्ड कर्णप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

J.S.C
S.B
G.E

(इन्द्र सिंह नेगी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

SS

कार्यालय अधिकारी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0) खण्ड कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykarunprayag1@rediffmail.com

पत्रांक ५१६ / चार-प्रावि०/ वनभूमि पत्रा०/ पी०एम०जी०एस०वाई०/ २०२३-२४,
सेवा में,

दिनांक ६०/०८/२०२३

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- प्रधानमंत्री भारत सरकार योजना फेज-14 के अन्तर्गत मालई से भटकवाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.376 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभग को प्रत्यवर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- १:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक ०८३ी/यू०सी०पी०/०८/७३/२०१६/एफ०सी०/९२६, दिनांक ०८.०९.२०१६

२:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक ०८३ी/यू०सी०पी०/०६/७३/२०१६/एफ०सी०/५९४, दिनांक २५.०७.२०२३

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से मालई से भटकवाली मोटर मार्ग पर सेद्वानिक स्थीकृति प्रदान की गई है। जिसके क्रम में विधिवत स्थीकृति हेतु अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1119, दिनांक 13.03.2018 द्वारा पूर्व में आपको प्रेषित की गई थी, जो कि आपके कार्यालय पत्रांक 4007/१२-१, दिनांक ०९.०४.२०१८ द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय-देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है उक्त प्रस्ताव पर विधिवत स्थीकृति हेतु पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 909, दिनांक 11.02.2022 द्वारा अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गई है।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम उक्त वनभूमि प्रस्ताव पर कठिपय बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है। जिसकी बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

क्र० सं०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
१	२	३
१	State Government is requested to provide the reason of delay of 7 years in submitting compliance to Stage-I approval.	<p>अवधारणा है, कि उक्त मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक ०८३ी/यू०सी०पी०/०८/७३/२०१६/एफ०सी०/९२६, दिनांक ०८.०९.२०१६ द्वारा सेद्वानिक स्थीकृति प्रदान की गई है (ज्ञायाप्रति संलग्न)। विधिवत स्थीकृति प्राप्त न होने/विलय होने की सम्बन्ध में आख्या निम्नलिखित है-</p> <p>(१) एन०पी०पी० जमा किये जाने की कार्यवाही में व्यतीत संलग्न-</p> <p>(२)- उक्त प्रस्ताव पर सेद्वानिक स्थीकृति प्राप्त होने के उपरान्त एन०पी०पी० इत्यादि धनराशि की मौगं प्रत्याप्तीय वनाधिकारी, के पत्रांक १२१५/१२-१, गोपेश्वर दिनांक ०३.१०.२०१६ द्वारा खण्ड स्तर को प्रेषित की गई, जिसके अनुसार खण्ड स्तर से मौगं ऑनलाइन जनरेट किया गया।</p> <p>(३)- उक्त मौगं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक २७.०१.२०१७ को सत्यापित की गई, जिसके उपरान्त दिनांक १४.०२.२०१७ को ऑनलाइन चालान जनरेट किया गया (ज्ञायाप्रति संलग्न)।</p> <p>(४)- इस कार्यालय के पत्रांक ९०१, दिनांक २२.०२.२०१७ के द्वारा एन०पी०पी० की मौगं/जनरेट चालान की प्रति सहित मुख्य अभियन्ता, यूआर०आर०ट०००० को एन०पी०पी० जमा किये जाने हेतु प्रेषित की गई (ज्ञायाप्रति संलग्न)। मुख्य अभियन्ता, यूआर०आर०ट०००० के कार्यालय पत्रांक ९७७९, दिनांक २२.०३.२०१७ द्वारा उत्तर धनराशि जमा किये जाने हेतु शाखा प्रबंधक एन०पी०पी० देहरादून को सिखा गया (ज्ञायाप्रति संलग्न) जो कि ऑनलाइन दिनांक ०७.०४.२०१७ को जमा हुई है (ज्ञायाप्रति संलग्न)।</p> <p>(५)- उक्तानुसार दिनांक ०७.०४.२०१७ को एन०पी०पी० की धनराशि जमा की गई, किन्तु Forest Clearance की वेबसाइट पर उक्त धनराशि कैम्पा के खाते में Paid Show न होने के कारण प्रस्ताव विधिवत स्थीकृति हेतु प्रेषित नहीं किया जा सका। जिसके निस्तारण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक ३२२, दिनांक १२.०७.२०१७ एवं पत्रांक ४३१, दिनांक ११.०८.२०१७ द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून की Forest Clearance की वेबसाइट पर संशोधन हेतु लिखा गया (ज्ञायाप्रति संलग्न)। उक्त क्रम में प्रमाणीय वनाधिकारी, द्वारा भी अपने कार्यालय पत्रांक ८२६/१२-१, दिनांक १७.०८.२०१७ द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को उक्तानुसार संशोधन हेतु लिखा गया। सेद्वानिक स्थीकृति के तरपर एन०पी०पी० जमा तथा Forest Clearance की वेबसाइट पर संशोधन होने तक लगभग १२ से १३ घण्टे का समय व्यतीत हुआ।</p>

क्र०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या	
स०	१	२	३
		<p>(१) म्यूटेशन की कार्यवाही में व्यतीत समय:-</p> <p>उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.09.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 636/चार-प्राप्ति/वनभूमि/2016-17, दिनांक 15.10.2016 द्वारा जिलाधिकारी, चमोली को म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया (छायाप्रति संलग्न)।</p> <p>(२)- जिलाधिकारी, चमोली के कार्यालय आदेश संख्या 281/छब्बीस-एम०वी(2015-16), दिनांक 18.10.2016 द्वारा उपजिलाधिकारी, कर्णप्रयाग को म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु लिखा गया (छायाप्रति संलग्न), किन्तु उक्त म्यूटेशन की कार्यवाही उपजिलाधिकारी, गैरसैण द्वारा करवायी जानी थी, जिस कारण पुनः जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक 1391/छब्बीस-एम०वी० (2016-17), दिनांक 24.12.2016 द्वारा उपजिलाधिकारी, गैरसैण को लिखा गया (छायाप्रति संलग्न)। उक्त तिथि तक लगभग 02 माह का समय व्यतीत हुआ।</p> <p>(३)- जिलाधिकारी, चमोली के कार्यालय आदेश संख्या 2126/छब्बीस-14 (2016-17), दिनांक 22.02.2017 द्वारा म्यूटेशन की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त तिथि तक लगभग 04 माह का समय व्यतीत हुआ।</p> <p>(४)- म्यूटेशन के आदेश में हो रहे विलम्ब के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 462(ष)/चार-प्राप्ति/2017-18, दिनांक-26.08.2017 द्वारा म्यूटेशन प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी गहोद चमोली को लिखा गया। जिसके क्रम में जिलाधिकारी चमोली द्वारा पत्र संख्या 5709/छब्बीस-एम०वी० (2016-17), दिनांक 31.08.2017 के माध्यम से उपजिलाधिकारी, गैरसैण को म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु लिखा गया (छायाप्रति संलग्न)। उक्त तिथि तक लगभग 10 माह का समय व्यतीत हुआ।</p> <p>(५)- दिनांक 27.01.2018 तक भी म्यूटेशन की कार्यवाही न हो पाने के कारण पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 943, दिनांक 28.01.2018 द्वारा उपजिलाधिकारी गैरसैण को लिखा गया (छायाप्रति संलग्न)। उक्त तिथि तक लगभग 16 माह का समय व्यतीत हुआ।</p> <p>(६)- उपजिलाधिकारी गैरसैण से विवितगत सापर्क स्थापित करने के उपरान्त तहसील स्तर से म्यूटेशन के प्रयत्र प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्रांक 1012, दिनांक 08.02.2018 द्वारा नमांतरण/हस्तान्तरण प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी चमोली को लिखा गया।</p> <p>(७)- जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 3222/छब्बीस-14 (2016-17), दिनांक 03.03.2018 के म्यूटेशन प्रमाण पत्र निर्गत किया गया (छायाप्रति संलग्न)। सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त म्यूटेशन की कार्यवाही में लगभग 19 माह का समय व्यतीत हुआ।</p> <p>उक्तानुसार एन०वी०वी० की धनराशि जमा की गयी जाने में लगभग 12 माह तथा म्यूटेशन इत्यादि की कार्यवाही में लगभग 19 माह समय व्यतीत होने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 1119, दिनांक 13.03.2018 द्वारा विभिन्न स्वीकृति हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग गोपेश्वर को ऑफलाईन/ऑफलाईन अनुपालन आख्या प्रेषित की गई। उक्त अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, के कार्यालय के पत्रांक 4007/12-1, दिनांक 09.04.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संस्करण एवं नोडल अधिकारी, वन संस्करण भूगी सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून को प्रेषित कर दी गई थी (छायाप्रति संलग्न)। जिसे अपर प्रमुख वन संस्करण एवं नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 02.09.2019 को ऑफलाईन सत्यापित किया गया (छायाप्रति संलग्न)।</p> <p>उक्त के पश्चात अपर प्रमुख वन संस्करण एवं नोडल अधिकारी द्वारा भारत वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आपूर्ति/सरक्षित घोषित किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने कार्यालय पत्रांक 1390/1जी-5070, दिनांक 09.11.2020 द्वारा लिखा गया गया, किन्तु पत्र विलम्ब से प्राप्त होने के कारण खण्ड द्वारा पत्र संख्या 335, दिनांक 18.08.2021 द्वारा वॉचिट प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग को प्रेषित किया गया है। जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी स्तर तथा नोडल स्तर से की जानी थी। एन०वी०वी० की धनराशि तथा म्यूटेशन की कार्यवाही विलम्ब से होने के कारण उक्त प्रस्ताव लगभग 19 माह विलम्ब से प्रेषित किया गया। जिसके पश्चात विधिवत स्वीकृति हेतु वनपरि प्रस्ताव सितावर 2018 से नवम्बर 2019 तक लगभग 14 माह और सितावर 2021 से जनवरी 2022 लगभग 04 माह उक्त प्रस्ताव वन विभाग स्तर पर लघित रहा है।</p> <p>महोदय, उक्त सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा कोई लापरवाही नहीं बताई गयी है, अपितु खण्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति हेतु समस्य सभी कार्यवाही की गई है, उक्त प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही वन विभाग स्तर से वॉचिट है।</p>	
2	State Government is requested to submit copy of CA scheme of Rs. 15,54,538.00 based on which amount is deposited in CAMPA fund.		

क्र० सं०	शर्त संख्या	अनुपालन आव्या
1	2	3
3	In compliance to condition no 1, State Government is requested to submit copy of notification of CA area as RF/PF.	प्रगतीय वनाधिकारी, स्तर से सम्बन्धित है।
4	State Govt. Is requested to deposit NPV as per new rates.	आपके कार्यालय पत्रांक 906/12-1 गोपेश्वर दिनांक 20.08.2022 द्वारा वर्तमान दरों के आधार पर संशोधित ए०पी०वी० जमा किये जाने हेतु इस खण्ड को प्रेषित मँग पत्र के अनुसार संशोधित ए०पी०वी० की धनराशि रु० 11,75,557.00 मात्र RTGS/NEFT के माध्यम से Union Bank of India में दिनांक 18.10.2022 को जमा की जा चुकी है (संलग्न साक्ष्य)।
5	State Government is requested to submit the status of plantation in CA area.	प्रगतीय वनाधिकारी, स्तर से सम्बन्धित है।

अतः अनुरोध है, कि उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत् स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार साक्ष्य/ए०पी०वी० जमा करने सम्बन्धी प्रपत्र।


 भवदीप
 अधिशासी अभियन्ता,
 ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०

 ए०पी०वी० उपरोक्तानुसार साक्ष्य/ए०पी०वी० जमा करने सम्बन्धी प्रपत्र।

**कार्यालय अधिकारी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।**

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

पत्रांक 941 /चार-प्राविठो/वनभूमि पत्राओ/पी0एम0जी0एस0वाई0/2017-18,
सेवा में,

दिनांक 21 /11/2022,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-14 के अन्तर्गत मालई से भटक्काली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.376 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी/यूसी0पी0/08/73/2016/एफ0सी0/926, दिनांक 08.09.2016 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से मालई से भटक्काली मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके क्रम में विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1119, दिनांक 13.03.2018 द्वारा पूर्व में आपको प्रेषित की गई थी, जो कि आपके कार्यालय पत्रांक 4007/12-1, दिनांक 09.04.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है उक्त प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति हेतु पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 909, दिनांक 11.02.2022 द्वारा अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गई है (छायाप्रति संलग्न)।

भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में विन्दुवार आख्या निम्नानुसार पुनः विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने का कष्ट करें।

क्र0 स0	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.75 है0 ग्राम भटक्काली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्य के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	भारत सरकार की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल पर 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु मु0 1554538.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से चैक संख्या 242527, दिनांक 20.03.2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttranchal SB/Ac No 15089 ROAD Road 182222016489 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13 rd Floor Jellita Tawer mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)। शर्त संख्या 01 के अनुपालन में म्यूटेशन की कार्यवाही की जा चुकी है जिलाधिकारी चमोली द्वारा निर्गत अमलदराज का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है (प्रति संलग्न)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी) की धनराशि जमा की जायेगी।	भारत सरकार की शर्त संख्या 02 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की देय धनराशि मु0 2218032.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से चैक संख्या 242527, दि0 20.03.2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttranchal SB/Ac No 15089 ROAD Road 182222016489 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13 rd Floor Jellita Tawer mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर से अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि किये जाने सम्बन्धी “बचनबद्धता प्रमाण पत्र” संलग्न है।

(2)

क्र० स०	शर्त संख्या	अनुपालन आव्या
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी) तथा दूसरी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में, Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है, उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	भारत सरकार की शर्त संख्या 04 के अनुपालन में डिमान्ड नोट को ऑनलाइन कर सत्यापन एवं शर्त संख्या 01 और 02 की धनराशि मु0 3772570.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से चैक संख्या 242527, दि0 20.03.2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttranchal SB/Ac No 15089 ROAD Road 104842015925 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13 rd Floor Jellita Tawer mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है, ऑनलाइन जमा धनराशि की प्रति संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न)।
5	सड़क के निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 के अनुपालन में सड़क के निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation किये जाने सम्बन्धी “बचनबद्धता प्रमाण पत्र” संलग्न है।
6	The State Govt. May submit GIS Software generated Geo-referenced digital map of proposed road both hard and soft copy showing geo coordinates at 200-300m interval including all turning points and upload at para-C (iv) of online Part 1.	Online Part-1 के Coloum-C(iv) में संशोधित GIS Software generated Geo-referenced digital map Upload किया जा चुका है। जो कि इस कार्यालय के पत्रांक 320, दिनांक 05.07.2016 द्वारा पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।
ख अन्य आवश्यक शर्त:-		
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ात्तरी होती है, तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु यानित 6.75 हैं सिविल एवं सोयम भूमि को छ: माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त मान्य है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	शर्त मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमकन करेगा, जिन पर Forwad एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	शर्त मान्य है।
7	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	शर्त मान्य है।
8	वन भूमि के उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
9	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 313 से अधिक न हो।	शर्त मान्य है।

(3)

क्र० स०	शर्त संख्या	अनुपालन आच्चा
10	सड़क के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहाँ-जहाँ सभवन हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी।	शर्त मान्य है।
11	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	शर्त मान्य है।
12	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिमेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
13	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।	शर्त मान्य है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत करना है, कि उक्त मोटर मार्ग के वनस्पति प्रस्ताव पर 05 वर्ष से अधिक समय पूर्व (अर्थात् 06.01.2017 से पूर्व) सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तथा दिनांक 06.01.2022 तक भी विधिवत् स्वीकृति अप्राप्त होने के कारण अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के कार्यालय पंत्राक 1657/1-4 (IV), दिनांक 07.01.2022 के क्रम में आपके कार्यालय पत्रांक 906/12-1 गोपेश्वर दिनांक 20.08.2022 द्वारा वर्तमान दरों के आधार पर संशोधित ए०पी०वी० जमा किये जाने हेतु इस खण्ड को प्रेषित माँग पत्र के अनुसार संशोधित ए०पी०वी० की धनराशि रु० 11,75,557.00 मात्र RTGS/NEFT के माध्यम से Union Bank of India में दिनांक 18.10.2022 को जमा की जा चुकी है (संलग्न साक्ष्य)।

अतः अनुरोध है, कि उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत् स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार पूर्व प्रेषित अनुपालन आच्चा/
ए०पी०वी० जमा करने सम्बन्धी प्रपत्र।

भवतीय,

अधिकारी अधिकारी,
 ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०८०३०१०५०१०५०१०
 प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

**कार्यालय अधिकारी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग**

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

पत्रांक १०९ /चार-प्राविठ/वनभूमि पत्रा०/पी०एम०जी०एस०वाई०/2017-18,
सेवा में,

दिनांक ११ /०२/२०२२,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

- विषय:-** प्रधानमंत्री ग्राम सुरक्षक योजना फेज-14 के अन्तर्गत मालई से भटकवाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.376 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
- सन्दर्भ:-** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक ०४३ी/य०सी०पी०/०८/७३/२०१६/एफ०सी०/९२६, दिनांक ०८.०९.२०१६ (छायाप्रति संलग्न)।
- महोदय,**

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से मालई से भटकवाली मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके क्रम में विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1119, दिनांक 13.03.2018 द्वारा पूर्व में आपको प्रेषित की गई थी, जो कि आपके कार्यालय पत्रांक 4007/12-1, दिनांक 09.04.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।

भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार पुनः विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने का कष्ट करें।

बिन्दु संख्या 01:- भारत सरकार की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल पर 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु मु० 1554538.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से चैक संख्या 242527, दि० 20.03.2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttranchal SB/Ac No 15089 ROAD Road 182222016489 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13 rd Floor Jellita Tawer mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)। शर्त संख्या 01 के अनुपालन में म्यूटेशन की कार्यवाही की जा चुकी है जिलाधिकारी चमोली द्वारा निर्गत अमलदराज का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है (प्रति संलग्न)।

बिन्दु संख्या 02:- भारत सरकार की शर्त संख्या 02 के अनुपालन में एन०पी०बी० की देय धनराशि मु० 2218032.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से चैक संख्या 242527, दि० 20.03.2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttranchal SB/Ac No 15089 ROAD Road 182222016489 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13 rd Floor Jellita Tawer mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।

बिन्दु संख्या 03:- सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुपालन में एन०पी०बी० की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन०पी०बी० की धनराशि किये जाने सम्बन्धी “बचनबद्धता प्रमाण पत्र” संलग्न है।

बिन्दु संख्या 04:- भारत सरकार की शर्त संख्या 04 के अनुपालन में डिमान्ड नोट को ऑनलाईन कर सत्यापन एवं शर्त संख्या 01 और 02 की धनराशि मु० 3772570.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से चैक संख्या 242527, दि० 20.03.2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttranchal SB/Ac No 15089 ROAD Road 104842015925 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13 rd Floor Jellita Tawer mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है, ऑनलाईन जमा धनराशि की प्रति संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न)।

(2)

बिन्दु संख्या 05:- सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 के अनुपालन में सड़क के निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation किये जाने सम्बन्धी "बचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।

बिन्दु संख्या 06:- Online Part-1 के Coloum-C(iv) में संशोधित GIS Software generated Geo-referenced digital map Upload किया जा चुका है। जो कि इस कार्यालय के पत्रांक 320, दिनांक 05.07.2016 द्वारा पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।

अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने रूपरेखा से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
अधिशमसी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०ए०जी०ए०वाई०
~~प्राप्ति कर्त्तव्याग।~~

"प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा भविष्य में मालई से भटकवाली मोटर मार्ग पर यदि एन०पी०बी० की दरों में वृद्धि की जायेगी तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वार्ड०
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

"प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि मालई से भटकवाली मोटर मार्ग निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation कर लिया जायेगा

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

निवासी के लिए बुरा नहीं है, केदरनाथ के वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Deputy Conservator of Forest, Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

पत्राक:-

/ 12-1

गोपेश्वर,

दिनांक ०९ अप्रैल 2018

सेवा में

अपर प्रायुख बन संरक्षक एवं गोड़ला अधिकारी,
बन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निवेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट बालोनी,
देहरादून।

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 14 के अन्तर्गत गालाई से भट्टद्वाली मोटर गार्ग के निर्माण हेतु 3.376 हेक्टेक्टर बन भूमि
का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-
नहादून,

भारत सरकार बन पत्राक 08/यूसी०पी०/०८/७३/एफ०सी०/९२६ दिनांक ०८-०९-२०१७

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के बन में अधिकत करना है कि अधिशासी अधिकारी, ग्रामीण निर्माण विभाग
(पी०एस०जी०एस०वाई०) कर्णप्रयाग के पत्राक 1119/चार प्राप्ति० दिनांक 13-03-2017 द्वारा भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र में
उल्लिखित अधिष्ठोपित रामरत्न शर्तों की विन्दुओं अनुपालन आवश्यक इस कार्यालय को 04 प्रतिचों उपलब्ध कराई गई है, अनुपालन आवश्यक
03 प्रतिचों निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

1- शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखा-रखाव हेतु रु. 15,54,538.00 मात्र बन
विभाग के पक्ष में RIGS के माध्यम से चैक संख्या 242527 दिनांक 20-03-2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund
(CAF) Uttrakhand SB/ AC No 15089Road Road 182222016489 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13 rd
Floor jellita Tawer Mission road Bangalore 560027 में चालन द्वारा जगा जी जा चुकी है। (छायाप्रति संलग्न) क्षतिपूरक
वृक्षारोपण स्थल हेतु सिविल ज्ञायम भूमि 6,752 हेक्टेक्टर भूमि का बन विभाग के नाम अमलदरानद की गई है। (प्रगां पत्र ब छासरे की

2- शर्त संख्या 1 के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि वर्तमान मूल्य पर रु 21,18,032 .00 मात्र बन विभाग के पक्ष में
NEFT/RIGS CHA LLAN for -HOC CAMPA APPLICATION N0.ROAD 113106272015302 दिनांक
20-03-2017 द्वारा जमा की गई है। चालान की प्रति संलग्न।

3- शर्त संख्या 3 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अपर बढ़ोत्तरी होती है, तो वही हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि
प्रयोजना अभियरण द्वारा जगा की जायेगी। इस आशय का प्रमाण द्वारा संलग्न है;

4- शर्त संख्या 4 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5-३/2007 एफ०सी० दिनांक 05/02/2009 के तहत दिये गये
आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण
CAMPA के तदर्थ निकाय खाते से Online portal के माध्यम से जा चालान Generate हुआ है। उसी माध्यम चालान की
छायाप्रति संलग्न है।

5- शर्त संख्या 5 के अनुसार साइक निर्माण के पश्चात दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता ऐजेन्सी की देखरेख में
Strpi Plantation किया जायेगा, वहान बहुता का प्रभाण पत्र संलग्न है।

6- Online part I के Colonm-C(iv) में संशोधित GIS Software generated Geo- reference digital map
uploaded किया गया है, जो अधिशासी अधिकारी, ग्रामीण निर्माण विभाग पी०एस०जी०एस०वाई० कर्णप्रयाग के पत्राक 320 दिनांक
05-07-2016 द्वारा प्रेषित की गई है।

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अधिकारी, ग्रामीण निर्माण विभाग पी०एस०जी०एस०वाई० कर्णप्रयाग के पत्राक 1119/ चार०प्रापि० बन भूमि
दिनांक 13-03-2018 की छायाप्रति सहित प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयाक्ति प्रकरण में अप्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीप्र,

(अमित कंदर)

उप बन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या १०७ /१२-१ दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अधिकारी, ग्रामीण निर्माण विभाग पी०एस०जी०एस०वाई० कर्णप्रयाग सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंदर)

उप बन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।



भारत सरकार
नर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पर्यावरण रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पौराणी नगर, देहरादून-248006
दूर भाषा: 0135-2750809,
ईमेल / Email - moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun - 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं० ०८वी/यू०सी०प००/०६/७३/२०१६/एफ.सी/ ७२६

दिनांक: ५९.०९.२०१६

संकेत में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद—चमोली में मलाई से भटक्काली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.376 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 405 / X-4-16/1 (114)/2016 दिनांक: 16.05.2016.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online proposal No. FP/UK/ROAD/18222/2016 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियाँ/दस्तावेज online मांगाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने के पश्चात व प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद—जनपद—चमोली में मलाई से भटक्काली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.376 है० वन भूमि के लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः—

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.75 है० ग्राम भटक्काली सिविल स्थायम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी नियियाँ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण नियि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में, Online portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है, उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
- सड़क के निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होंगी।
- The State Govt. may submit GIS software generated geo-referenced digital map of proposed road both hard and soft copy showing geo coordinates at 200-300 m interval including all turning points and upload at para-C (iv) of online Part I.

उद्धरणस्तु शर्ती शर्ती के संबंधित एक विद्युतीय सुनवाया गया था जो इन लोगोंने अप्रैल 1980 के दौरे में शिक्षित रखीकृति शर्ती की जाएगी। यह वास्तविक विद्युतीय सुनवाया गया था जो इन लोगोंने इन विद्युतीय शर्ती की जाएगी। यह वास्तविक विद्युतीय सुनवाया गया था जो इन लोगोंने इन विद्युतीय शर्ती की जाएगी।

संझानिक रखीकृति शर्ती अनुपातिक प्राप्ति के बाहर होने वाली शर्ती अन्य आवश्यक शर्ती सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी—

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति वर्तमान नहीं रखती।
2. इन पांची की वरों से अग्र घड़ीरामी होती है तो प्रदूषण की विधिक वर्तमान नहीं रखती। इन पांची की विधिक वर्तमान नहीं रखती।
3. प्रतिपूर्क वृक्षावधारण हम्बु छठनिक 6.75 हॉ विधिक वर्तमान भूमि को ऊपर लाहू के अन्वर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्वर्तनीय अवधिकृत/अवधिकृत वन घापित किया जाएगा लकड़ी भूमि अधिकृता की एक जगति क्षेत्रीय कार्यालय को अधिकृत की जाएगी।
4. प्रयोगक्षमता अनिकरण इस प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास नजदीकी/सटीक के लिये किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोगक्षमता अनिकरण प्रत्यावर्तन हम्बु प्रस्तावित वन भूमि का वार कैट इंजी लाइसेंसी० चिलर लगाकर सीनांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जाएगा।
6. प्रयोगक्षमता अनिकरण के द्वारा निर्णय कार्ड के शीर्षान नक्काश पर कार्यक्रम नजदीकी एवं स्टोक के लिये दसों ग्रेस/कैरोसिन हल की आधूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्रान्ति न पहुँच।
7. परियोजना के निर्णय व स्ट्रॉ-रडाव के द्वारा आस-पास का क्षेत्र वर्तमान वनस्पतियों एवं जीव-जन्मुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
8. वन भूमि वा उपयोग प्रस्ताव से उत्तरी नवी उद्देश्य के अलावा अन्य विद्युतीय उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
9. कन से कन बूझों का कदान/पादन किया जाएगा, जिससे लकड़ी प्रस्ताव के अनुज्ञा 313 के अधिक न हो।
10. स्टोक के निर्णय कार्ड के पूरी होने के प्रस्ताव इहाँ-इहाँ सम्भव हो स्टोक के दौरे किनारे हथा Central Verge पर ज्यावता अनिकरण द्वारा अन्वे वर्त वर वन विनाय की इच्छा-रक्षा व strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्णय से स्टोकवर्ती वनस्पति वन निर्णय के अनुसार प्रस्तुत नलिया निर्णयन योजना के अनुसार प्रभावीय वनस्पतियों जीव-जन्मुओं के अलावा अन्वे नलिया नहीं कैम्प किया जाएगा।
12. यदि कोई अन्य लकड़ीकृत विधियाँ/अनुच्छेद/नियम/नियामन आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जल्दी अनुनति लेना यात्रा लेकर प्रयोगक्षमता की जिम्मेदारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भवत लकड़ी विधियों में वर्णायरन, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हम्बु आवश्यक सनाइ।

यदि विधिक रखीकृति ने दो गहर शर्तों का संतोषजनक अनुपातिक नहीं किया जाता है तो रखीकृति को संतोषजनक प्रभाव से निरहूत किया जा सकता है:

भवदीय,

(एन०एस० नंगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रोफेटः

1. अपर वन नहानिदेशाल (एक००रु००) उद्योगरण, वन एवं जलवायु विवरण संस्कारण, इमिर्स उपायरम वन्यजन, जीववायर सोड, अलीनोज, नह्व दिल्ली।
2. अपर प्रसुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इमिर्स वन्यजन कारखट कालोनी, दहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश भवायली।

(एन०एस० नंगी)
वन संरक्षक

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली अन्तर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सङ्करण योजना के अन्तर्गत मालई से भटकवाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.376 हेक्टेएक्टर वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्रफल में उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग-2, देहरादून के शासनादेश सं-2882 / XVIII(II)/11-18(120)2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं तदक्रम में संशोधित शासनादेश सं-397 / XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 व शासनादेश सं-2173 / XVIII(II)/2012-18(120)2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार जिलाधिकारी चमोली के आदेश सं-2126 / छब्बीस-14 (2016-17) दिनांक 22 फरवरी 2017 के द्वारा ग्राम भटकवाली प०व० माथर तहसील आदिवासी की सीमान्तर्गत चिन्हित खोखा०सं०-46 के खसरा सं०-606 रकवा 3.038 हेक्टेएक्टर भूमि, खोखा०सं०-38 के खसरा सं०-2694 रकवा 2.765 हेक्टेएक्टर भूमि, खसरा सं०-2757 रकवा 0.933 हेक्टेएक्टर एवं खसरा सं०-2759 रकवा 0.360 हेक्टेएक्टर भूमि मध्ये 0.016 हेक्टेएक्टर भूमि अर्थात् कुल 6.752 हेक्टेएक्टर सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उप जिलाधिकारी गैरसैंण की रिपोर्ट के अनुसार उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण / अमलदरामद किया जा चुका है।

(आशीष जोशी),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: ३२२/छब्बीस- 14 (2016-2017) गोपेश्वर: दिनांक: ०५ मार्च, 2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी / तहसीलदार, गैरसैंण / आदिवासी।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिकारी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,


कर्णप्रयाग।

5/3/18
जिलाधिकारी,
चमोली।

प्रमाण पत्र ।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना के अन्तर्गत मालई से भट्टकचाली सोटर मार्ग हेतु 3.376 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु ग्राम — ग्राम भट्टकचाली, प०व०—माथर, तहसील —आदिवासी के सीमन्तर्गत चिन्हित ख०खा०स० 46 के खसरा 606 रकबा 3.038 है०, ख०खा०स० 38 के 2694 रकावा 2.765 है०, खसरा सं० 2757 रकबा 0.933 है०, खसरा सं० 2759 रकबा 0.36 है० मध्ये 0.016 है० अर्थात् कुल 8.752 है० सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग का हस्तान्तरित की गई है। सन् 1893 के राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र है, तथा उक्त भूमि की अमल दरामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है, एवं इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है। इस हेतु पृथक से संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।


(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर ।
 Office of Deputy Conservator of Forest, Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar ।

पत्रोंक:- 1215 / 12- गोपेश्वर, दिनांक 03 अक्टूबर, 2016
 सेवा में,

अधिकारी अभियन्ता,
 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
 पी०एम०जी०एस०वाई प्रखण्ड,
 कर्णप्रयाग ।

स्थिति:- जनपद में मालई से भट्कचाली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.376 है० वन भूमि का लो०नि०वी० को प्रत्यागतंग
 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत करना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि
 तथा एन०पी०वी० की धनराशि निम्नाँनुसार जमा की जानी हैः-

क०स०	नाम जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल	दर प्रति है० / किमी०	कुल धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	6.75 है०	2,30,302.00 प्रति है०	15,54,538.00
2	एन०पी०वी० (घनत्व . 2)	3.376 है०	6,57,000.00 प्रति है०	22,18,032.00

उक्त के अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समर्त शर्तों का अनुपालन करते हुए आख्या इस कार्यालय को
 उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण विधिवत् स्वीकृति हेतु उच्च रत्तर को प्रेषित किया जा सके।

भवदीया,

(नीतू लक्ष्मी एम०)

उप वन संरक्षक,
 केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर ।

5/13
 1/1/16

कार्यालय अधिकारी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग

E-Mail- eepmgsykarunprayag1@Rediffmail.com

Phone/Fax- 01363-244843

पत्रांक 1119

सेवा में

विषय:-

सन्दर्भ:-

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना फेज-14 के अन्तर्गत मालई से भटकवाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.376 है।
वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय देहरादून के पत्रांक
08वी/यूसी0पी0/08/73/2016/एफ0सी0/926, दिनांक 08.09.2016

दिनांक 13 / 03 / 2018.
कार्यालय वन्यजीव वन
रा नम्बर न०. 5974
काइल न०+2.....
वात्स दिनांक 23-3-18

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय

कार्यालय देहरादून द्वारा मालई से भटकवाली मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्थीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्गत

सैद्धान्तिक स्थीकृति में अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार आपकी सेवा में विधिवत स्थीकृति हेतु प्रेषित

है।

बिन्दु संख्या 01:- भारत सरकार की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल पर 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु मु0 1554538.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से चैक संख्या 242527, दि0 20.03.2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttranchal SB/Ac No 15089 ROAD Road 182222016489 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13 rd Floor Jellita Tawer mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)। शर्त संख्या 01 के अनुपालन में स्पूटेशन की कार्यवाही की जा चुकी है जिलाधिकारी चमोली द्वारा निर्गत अमलदराज का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है (प्रति संलग्न)।

बिन्दु संख्या 02:-भारत सरकार की शर्त संख्या 02 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की देय धनराशि मु0 2218032.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से चैक संख्या 242527, दि0 20.03.2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttranchal SB/Ac No 15089 ROAD Road 182222016489 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13 rd Floor Jellita Tawer mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।

बिन्दु संख्या 03:- सैद्धान्तिक स्थीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि किये जाने सम्बन्धी “बचनबद्धता प्रमाण पत्र” संलग्न है।

बिन्दु संख्या 04:- भारत सरकार की शर्त संख्या 04 के अनुपालन में डिमान्ड नोट को ऑनलाइन कर सत्यापन एवं शर्त संख्या 01 और 02 की धनराशि मु0 3772570.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से चैक संख्या 242527, दि0 20.03.2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttranchal SB/Ac No 15089 ROAD Road 104842015925 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13 rd Floor Jellita Tawer mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है, ऑनलाइन जमा धनराशि की प्रति संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न)।

क्रमशः.....

(2)

बिन्दु संख्या 05:- सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त रांख्या 05 के अनुपालग में सहक के निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सामग्र हो सड़क किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा अपने त्वय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation किये जाने सम्बन्धी "बचनबद्धता प्रमाण पत्र" रांगमन है।

बिन्दु संख्या 06:- Online Part-1 के Coloum-C(iv) में रांशोधित GIS Software generated Geo-referenced digital map Upload किया जा चुका है। जो कि इस कार्यालय के पत्रांक 320, दिनांक 05.07.2016 द्वारा पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।

अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन रांक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

भवदीय,
अधिकारी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
प्रधान अधिकारी


उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभियंकरण

ग्रामीण विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभियंकरण

प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय,

आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून

दूरभाष :- 0135-2608125 फैक्स :- 2608126

ई-मेल :- urrda@yahoo.com

पत्रांक ९१७१

/आई-३-२०/ यूआर०आर०डी०ए०/ १२ दिनांक

२२ नार्च 2017

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
रेसकोर्स, देहरादून।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आपकी शाखा में संचालित राज्य मद खाता सं० 15262011001939 से
Corporation Bank FCS Bangalore 21/1 3rd Floor Jeliita Tawer mission road
Bangalore 560027 के खाता सं०-15089 ROAD 182222016489 में धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निम्न सूची के अनुसार चैक सं०-242527 दिनांक 20.03.2017 धनराशि रु० 3772570.00 संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इसका भुगतान RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttarakhand SB/Ac No 15089 ROAD 182222016489 Corporation Bank FCS Bangalore 21/1 3rd Floor Jellita Tawer mission road Bangalore 560027 में चालान छारा जमा करने का कष्ट करें। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का विवरण निम्नानुसार है।

Name:- Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttrakhand

Name of Bank:- Corporation Bank

Address:- FCS Bangalore 21/1 3rd Floor Jeliita Tawer mission road Bangalore 560027

IFC Code:- CORP0000633

A/C No:- 15089 ROAD 182222016489

क्र सं	फै ज	प्रस्ताव का नाम	जनपद	देय धनराशि				
				क्षतिपूरक वृक्षारोपण	एन०पी०वी.	मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु	मलवा निर्स्तारण	योग
1		मालई से भटक्काली मोटर मार्ग	चमोली	1554538.00	2218032.00	-	-	3772570.00
							Totals	3772570.00

सलग्नक-उक्त चैक

अधिशासी अभियन्ता
यूआर०आर०डी०ए०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख वन रक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून
- अधिशासी अभियन्ता, पी०आई०य० ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०ए०जी०ए०स०वाई० प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

अधिशासी अभियन्ता
यूआर०आर०डी०ए०

Sno.	Proposal Detail	Application_No (New)	Application_No (Old)	Date of IN* PRINCIPLE	Amount to be Paid / Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
16	FP/UK/ROAD/10484/2015 (./viewreport.aspx?pid=FP /UK/ROAD/10484/2015) Dewaldhar to Kalchunda Motor Road under PMGSY	ROAD104842015925113101842015925030 Sep 2016	ROAD10484201592511310184201592530 Sep 2016	CA:	1314103.21/- Addl CA : 0/- PCA : 0/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- strip plantation 2149567.2/- NPV: 1874421/- ; Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- ; Other Charges3: 0/- Total : 5338091.412/-	Paid	Fund Demand Verified by : 09 Feb 2017 Notal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of NEFT/RTGS Payment (Challan) Challan Generated : 14 Feb 2017 On Transaction Date : 13 Apr 2017	Demand Letter (./writereaddata/Fund.pdf /121121201212GQ10V/Kalchunda.pdf) Generated Challan (./UserAccount /Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD10484201592
17	FP/UK/ROAD/18222/2016 (./viewreport.aspx?pid=FP /UK/ROAD/18222/2016) Construction of Phasalei to Brihatkawali Motor Road under PMGSY	ROAD18222201648911318222016489009 Sep 2016	ROAD18222201648911318222016489009 Sep 2016	CA: 1554538/- Addl CA : 0/- PCA : 0/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 2218037/- Other Charges : 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total : 3772570/-	Paid	Fund Demand Verified by : 27 Jan 2017 Notal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of NEFT/RTGS Payment (Challan) Challan Generated : 14 Feb 2017 On Transaction Date : 07 Apr 2017	Demand Letter (./writereaddata/Fund.pdf /121121212123DU8EMai.pdf) Generated Challan (./UserAccount /Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD18222201648	

गर्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone / Fax No-01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्राकः- मान0

१०६ /१२-१ गोपेश्वर,

दिनांक

२०/०८/२०२२

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०एम०जी०एस०वाई प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

विषय:-

संदर्भ:-

एन०पी०वी० की संशोधित धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून का पत्रांक 1657 / १-४१(IV), दिनांक 07 / 01 / 2022।

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत करना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में एन०पी०वी० की दरों में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन (वन संरक्षण प्रभाग) इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड नई दिल्ली के फाईल सं० ५-३/२०११-FC(Vol-I), दिनांक 19-01-2022 (प्रति संलग्न) को पुनर्निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

पुनर्निर्धारित एन०पी०वी० की दरों के लागू होने की तिथि के सम्बन्ध में भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के (Forest Conservation Division) के फाईल नं० ५-३/२०११-FC(Vol-I), दिनांक 19-01-2022 द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार संशोधित एन०पी०वी० की दर निम्न प्रकरणों में लागू होंगे—

१:- ऐसे प्रस्ताव जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-२(II) के तहत दिनांक 06 / 01 / 2022 के पश्चात प्राप्त हुए हो।

२:- ऐसे प्रस्ताव जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-२(II) के अन्तर्गत ०५ वर्ष से अधिक पूर्व अर्थात दिनांक 06 / 01 / 2017 से पूर्व प्राप्त हुयी हो, परन्तु Stage-II का अनुमोदन दिनांक 06 / 01 / 2022 तक अप्राप्त हो।

आपके कार्यालय का निम्न वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, जो उक्त संशोधित एन०पी०वी० दरों की परिधि में आच्छादित हैं के कम में अंकित विवरणानुसार अतिरिक्त एन०पी०वी० की धनराशि जमा किया जाना अपेक्षित है।

क०स०	परियोजना का नाम	सैद्धान्तिक स्वीकृति का दिनांक	पूर्व की दरों के अनुसार जमा की गई एन०पी०वी० की धनराशि	वर्तमान दरों के अनुसार एन०पी०वी० की अवशेष धनराशि निम्नानुसार जमा किया जाना है
1	जनपद चमाली के अन्तर्गत मालई से भट्काली मोटर मार्ग निर्माण हेतु ३.३७६ है० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।	08-09-2016	$3.376 \times 6,57,000.00 = 22,18,032.00$	$3.376 \times 10,05,210.00 = 33,93,589.00$ (अवशेष धनराशि)= $= 11,75,557.00$

सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन (वन संरक्षण प्रभाग) इन्द्रा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड नई दिल्ली के उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्तानुसार एन०पी०वी की अवशेष धनराशि जमा करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

□

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-082/2016

1. Location of the project/Scheme : Uttarakhand

- (i) State / Union Territory : Uttarakhand
- (ii) District : Chamoli
- (iii) Forest Division : Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar
- (iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 3.376
- (v) Category of the Proposal: Road

2. Legal status of forest land proposed for diversion

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar	1.185	Revenue Forest
2	Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar	2.191	Village Forest
Total		3.376	

Division 1. : Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar

3. District wise area to be diverted in the division

S. No.	District	Area(ha.)
1	Chamoli	3.376
Total		3.376

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion**(i) Density of vegetation**

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	3.376	0.2	Eco 5

Total.	3.376		
--------	-------	--	--

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Misc. Species	Anyar, Kafal, Tilonj, Moru, Mehal, Loda	0	103	9	1	0	0
2	Pinus roxburghii	Chir	0	36	18	4	0	0
3	Quercus leucotrichophora	Banj	0	69	25	4	1	0
4	Rhododendron arboreum	Buras	0	36	7	0	0	0
Total			0	244	59	9	1	0
Sub Total (No of Trees.)			313					

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : Working plan on this division under preparation.

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : Middly prone to erosion.

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 0.50

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view

- (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : Leopard, Bear, Marden, Monkey, etc
- (ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No
- (iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No
- (iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No
- (v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the

area, if any

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed

- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : NIL

13. Details of compensatory afforestation scheme

- (i). Patch wise details of non-forest or Revenue forest land to be provided by User Agency for CA

Patch Wise Details						
S.no	District Name	Village	Area(in ha.)	khasra	KML file	Present Owner file
1	Chamoli	Bhatkвали	6.752	606,2694,2757,2759		

- (ii). Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station:

- (iii). Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A:

- (iv). Copy of CA scheme details:

Additional information Details

S. No.	Documents	Remarks
1		

14. District Profile

S.no	District Name	Geographical area of the district (in	Forest area of the district (in	Total forest area diverted since	No. of Approved	Forest Land including penal	Progress of compensatory	A) Forest land (in	B) Non-forest land

	ha.)	ha.)	1980 (in ha.)	Cases	C.A. (in ha.)	afforestation as on(date)	ha.)	(in ha.)	
1	Chamoli	803000	5147.92	1031.955	247	434.32	11/03/2016	434.32	0

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Kedarnath Wild Life Division,Gopeshwar	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	DFO	Yes	One		09/03/2016
	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	CF	Yes	One		30.03.2016

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Kedarnath Wild Life Division,Gopeshwar	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	DFO	Recommended	In Public Demand.		
	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	CF	Recommended	In Public Demand.		Yes

		Nodal Officer	Recommended	as per file attached		
--	--	---------------	-------------	----------------------	---	--

Specific recommendation of the State Government(Part V)

17. Specific recommendation of the State Government for acceptance or otherwise of the proposal with reason (Part V)

State	Recommendation By	Recommendation	Recommendation Date	Remarks	Signing Authority	Notification	Recommendation Letter
Uttarakhand	State Secretary	Recommended	18/04/2016		State Govt. Officer	No Data	

Stage-I Clearance Report

17.

Regional Office	Recommendation By	MoEF File No.	Date of Stage-I Clearance	Clearance Letter
Dehradun	Regional Office	8B/UCP/06/73/2016/FC/926	08/09/2016	

18. Payment made by User Agency

Proposal No.	Application No.	Total Amount (Rs.)	Received Amount (Rs.)	Transaction Date	Transaction ID	Bank Name	Mode of Payment	Uploaded Demand Letter
FP/UK/ROAD/18222/2016	ROAD18222016890	1175557	1175557	18 Oct 2022	748643	Union Bank Of India	NEFT/RTGS (Challan)	
FP/UK/ROAD/18222/2016	ROAD18222016489	3772570	3772570	07 Apr 2017	ORBCR52017040700063333	Corporation Bank	NEFT/RTGS (Challan)	

19. Uploaded Status of Land to be transferred to Forest Department under FCA (Mutation Details).

- (i). Whether CA Land is mandatorily required in this Proposal : Yes
- (ii). Total Land identified for raising CA: 6.752
- (iii). No. of Maintenance years: 10
- (iv). Total No. of Patches/Parcel: 1

20. Mutation Details Verified By Nodal Officer

Proposal No.	Verified Date	Mutation Letter	Remarks
FP/UK/ROAD/18222/2016	02 Sep 2019	No Data	as per file attached

No. of patches : 1														
Patch wise details														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Patch No.</th> <th>Shape of land identified for CA</th> <th>Area of Patch/Parcel(in ha.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Block(Polygon)</td> <td>6.752</td> </tr> </tbody> </table>	Patch No.	Shape of land identified for CA	Area of Patch/Parcel(in ha.)	1	Block(Polygon)	6.752								
Patch No.	Shape of land identified for CA	Area of Patch/Parcel(in ha.)												
1	Block(Polygon)	6.752												
Status of CA Land so identified : Non Forest Area														
Site Name : NIL														
Location Details : NIL														
Uploaded GPS File : 														
Uploaded Scanned copy of Map : 														
Mutation Status : Mutated														
Mutation Status														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Circle Name.</th> <th>Name of Division.</th> <th>Name of Range.</th> <th>Mutation Order No.</th> <th>Mutation Date</th> <th>How Much Area of Mutated Land Received</th> <th>Mutation Letter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar</td> <td>Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar</td> <td>Dhanpur</td> <td>3222/26-14(2016-2017) Gopeshwar</td> <td>03 Mar 2018</td> <td>6.752</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Circle Name.	Name of Division.	Name of Range.	Mutation Order No.	Mutation Date	How Much Area of Mutated Land Received	Mutation Letter	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar	Dhanpur	3222/26-14(2016-2017) Gopeshwar	03 Mar 2018	6.752	
Circle Name.	Name of Division.	Name of Range.	Mutation Order No.	Mutation Date	How Much Area of Mutated Land Received	Mutation Letter								
Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar	Dhanpur	3222/26-14(2016-2017) Gopeshwar	03 Mar 2018	6.752									

23. Stage-II Clearance Details

Proposal No.	Date of Stage-II Clearance	Proposal Status	Clearance Letter
FP/UK/ROAD/18222/2016		Approved In-Principle	No Data